तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/11841/2025/डीडवाना–कुचामन** **सदीक खां बनाम मुंशी खां**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री समीर अहमद, अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री श्रीनिवास बेनिवाल, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 27.01.2026

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर की अपील सं0 322/2025 में पारित आदेश दिनांक 09–09–2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश से वादग्रस्त आराजी की मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी पेशी तक बनायी रखी गयी है।

2– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति एवं निगरानी पर सुनी गयी।

3– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का उल्लेख करते हुए बहस में तर्क दिये हैं कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–09–2025 तक अन्तरिम आदेश है जो किसी भी निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है तथा ऐसे आदेशों के विरुद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से किसी प्रकार के पक्षकारों का हक व अधिकारों का निर्णय नहीं होता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को इसी स्तर पर ही खारिज किया जावे।

उन्होंने अपने समर्थन में न्याय दृष्टान्त 2018(1) आर0आर0टी0 पेज 107 प्रस्तुत किया है।

4– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिये हैं कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/11841/2025/डीडवाना–कुचामन** **सदीक खां बनाम मुंशी खां**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पारित करते समय इस बिन्दु को नजरअंदाज कर दिया गया है कि अप्रार्थी सं0 1 मुंशी खां द्वारा खसरा नं0 236 व 239 में से होकर दिये जाने वाले रास्ते के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जबकि खसरा नं0 236 की खातेदारी कमालुदीन पुत्र गनी वगैरह की सहखातेदारी में दर्ज है अर्थात् 236 में से किसी भी प्रकार का रास्ता दिये जाने से किसी भी पक्ष को कोई क्षति कारित नहीं होगी। बल्कि प्रार्थी स्वयं इसी भूमि का सहखातेदार है। इसलिए मुंशी पुत्र गनी जो 1/5 हिस्से का सहखातेदार है। उसको अपील प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था फिर भी अपीलीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं0 1 की अपील में अनुचित रूप से स्थगन आदेश प्रदान किया गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया है कि किसी भी खातेदार के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता होने पर उसे रास्ता दिया जाना चाहिये। प्रस्तुत प्रकरण में भी विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर खसरा नं0 239 में से ए. से बी. तथा खसरा नं0 236 में बी से सी तक रास्ता दिया है जो तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है। यदि राजस्व मण्डल इस निगरानी को संधारण योग्य नहीं भी माने तो भी प्रार्थी राजस्व मण्डल को प्राप्त अन्तर्निहित शक्तियां अन्तर्गत धारा 221 का उपयोग कर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–09–2025 को निरस्त किया जावे। अप्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की है क्योंकि अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये है। इसलिए अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश नहीं होकर अंतिम आदेश है। जिसकी निगरानी मण्डल में पोषणीय है। इसलिए अप्रार्थी की प्राथमिक आपत्ति खारिज की जावे।

अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–09–2025 को निरस्त किया जावे।

उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 1990 आर0आर0डी0 पेज 395 एवं 1991 आर0आर0डी0 पेज 82 के न्याय दृष्टान्त पेश किये।

5– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की सुनी गयी बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का आधोपान्त अध्ययन व परिशीलन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/11841/2025/डीडवाना–कुचामन** **सदीक खां बनाम मुंशी खां**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि मौजा रामसाबास में खेत खसरा नं0 232 प्रार्थी की एकल खातेदारी में स्थित है। उक्त भूमि में वर्तमान में प्रार्थी के खेत तक पहुंचने का कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–ए. उपधारा 1 के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर पर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। इसके उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर एवं तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अवलोकन उपरान्त विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04–08–2025 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट मुंशी खां द्वारा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत कर स्थगन चाहा था। जिस पर अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 09–09–2025 से मौजा रामसाबास में स्थित खसरा नं0 236 व 239 की मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये है। 7– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–09–2025 एक पूर्णतया अंतरिम आदेश है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का प्राथमिक आपत्ति में भी यही तर्क है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अन्तरिम आदेश है जो किसी भी निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है तथा इस प्रकार के आदेश से किसी प्रकार के पक्षकारों के हक व अधिकारों का निर्णय नहीं होता है। स्थगन देना या नहीं देना न्यायालय का स्वविवेकाधिकार है और इस प्रकरण में मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति तारीख पेशी तक बनाए रखने का आदेश दिया गया है। जिससे वाद बहुलता नहीं बढ़े एवं रिकॉर्ड तलब किया गया है। **‘‘मण्डल की वृहद पीठ ने अपने न्यायिक दृष्टान्त 2014 (1) आर0आर0टी0 पेज 509 बउनवानी जगदीश प्रसाद बनाम भोपालराम व अन्य में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी मण्डल में पोषणीय नहीं है।’’**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/11841/2025/डीडवाना–कुचामन** **सदीक खां बनाम मुंशी खां**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

8– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त 2018 आर0आर0टी0 पेज 107 में अभिनिर्धारित किया गया है कि –

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 – धारा 230 व 221 – अप्रार्थी एच.एस. के हिस्से की सीमा तक राजस्व अपील प्राधिकारी ने स्थगन आदेश रिक्त किया। अन्तरिम आदेश दिनांक 01–12–2014 केवल उपान्तरित किया। अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की गयी।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी की निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

9– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा होते है।

10– अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी की निगरानी **खारिज** की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–09–2025 को यथावत् रखा जाता है। न्यायहित में अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर को निर्देशित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को समुचित रूप से सुनकर प्रस्तुत अपील का निस्तारण आवश्यक रूप से 30 दिवस में करना सुनिश्चित करें।

11– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य